

दैनिक जयन्त

स्थापित : 1979

संस्थापक

स्व0 श्री नरेन्द्र उनियाल

वर्ष-45, अंक 81

कोटद्वार रविवार

16 जुलाई 2023, पृष्ठ-8

गढ़वाल जनपद का प्रथम दैनिक

# जयन्त

निर्भीक-निष्पक्ष-जनसरोकार

खबर बड़ी होती है,  
अखबार नहीं

दैनिक जयन्त

www.dainikjayantnews.com

कोटद्वार एवं गैरसैण से प्रकाशित डाक पंजीयन यू.ए./पी.ए.ओ.07-2021-23 फोन नं0 01382-222383, मो0 नं0 8384897348, 9412081969 e-mail : dainikjayant@rediffmail.com, nagendra.uniyal@gmail.com मूल्य-2 रुपये

बाढ़ का कहर:  
लक्सर और खानपुर  
में अब तक तीन की  
मौत, हेलिकॉप्टर से  
भेजी जा रही सामग्री

रुड़की, एजेंसी। बाढ़ के कहर से लक्सर और खानपुर क्षेत्र में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है। बचाव और राहत कार्य के लिए पुलिस, आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 16 टीमों लगाई हैं। जबकि हेलिकॉप्टर से लगातार राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी है। लक्सर और खानपुर में बाढ़ ने लगातार कहर बरपा रखा है। जिससे जनहानि भी हुई है। जिलाधिकारी की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि बाढ़ के चलते लक्सर के ग्राम हबीबपुर कुंडी में सतपाल, ग्राम बसेडी खादर में वाल्मीकि कॉलोनी निवासी अजय कुमार की डूबने से मौत हुई है। जबकि तहसील रुड़की में सात वर्षीय अलीउसा की दीवार गिरने से मौत हुई है। वहीं लक्सर के रावसी के पास नदी में पैर फिसलने से 18 साल के युवक की मौत हुई है। बताया कि बीईजी से 77 जवान और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कुल 16 टीमों लगाई गई हैं। इसके अलावा आपदा मित्र ग्रामीण, स्वयंसेवकों, सामाजिक संस्थाओं की ओर से भी सहयोग किया जा रहा है। बताया कि हरिद्वार से अब तक हेलिकॉप्टर से दस चक्रों के जरिए राहत सामग्री भी भेजी गई है। बाढ़ के कारण लोनिवि के 15 मार्ग बाधित हुए हैं। इसके अलावा एक राज्य मार्ग, एक जिला मार्ग, आठ ग्रामीण मार्ग भी बाधित हैं।

## भूमि के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने वालों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई : धामी

जयन्त प्रतिनिधि।

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून कलेक्ट्रेट स्थित रजिस्ट्रार ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। जिससे वहां हड़कंप मच गया। सीएम ने रजिस्ट्रार ऑफिस में संचालित जमीनों की रजिस्ट्री की प्रक्रियाओं एवं रिकॉर्ड्स रूम का अवलोकन कर जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिये कि जमीनों के दस्तावेजों में भविष्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो इसकी कारगर व्यवस्था बनाई जाए। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि भूमि के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इसकी



पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए व्यवस्थाओं में जो भी सुधारत्मक कदम उठाये जाने हैं, वो उठाये जाएं। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी देहरादून को जिले में जमीनों के रिकॉर्ड की सुस्था के दृष्टिगत रजिस्ट्रार ऑफिस की सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिये और कार्यालय रिकार्ड के मेटेन के लिए समुचित व्यवस्था बनाई जाए। उन्होंने कहा कि जमीनों के फर्जीवाड़ा की गहनता से जांच की जाए और

मुख्यमंत्री ने किया रजिस्ट्रार ऑफिस का औचक निरीक्षण, मचा हड़कंप

दोषियों पर इतनी सख्त कार्रवाई की जाए, कि भविष्य में इस तरह के फर्जीवाड़ा करने की कोई सोच भी न सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कहीं भी जमीनों से संबंधित कोई भी फर्जीवाड़े की शिकायतें आयेगी तो उनकी जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी देहरादून मुख्यमंत्री जगदीश चंद्र काण्डपाल उपस्थित थे।

बाराखंबा स्थित डीसीएम बिल्डिंग में लगी भीषण आग

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के कर्नाट प्लेस में एक इमारत में आग लगने की खबर है। दमकल विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आग बाराखंबा रोड पर मौजूद डीसीएम बिल्डिंग के नौवें फ्लोर पर लगी है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ना ही इस बात की जानकारी सामने आई है कि हादसे के वक्त इमारत में कितने लोग थे। विभाग ने बताया कि आगजनी की सूचना शाम छह बजकर 21 मिनट पर मिली थी। बता दें कि यह दिल्ली का अहम इलाका है। यहां ऑफिसों की संख्या बहुत अधिक है। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ आग की भीषण लपटें नजर आ रही हैं। दमकल कर्मचारी त्रेन के जरिए आग पर पानी की बोछार कर रहे हैं।

नफरती भाषण में आजम खां दोषी करार

कोर्ट ने दो साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई

रामपुर, एजेंसी। सपा नेता आजम खां को नफरती भाषण मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आजम खां को दो साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा के प्रश्न पर आजम खां के अधिवक्ता और अभियोजन का पक्ष सुना गया। आजम खां पर आरोप था कि 18 अप्रैल 2019 को धमारा गांव में जनसभा के दौरान उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके बाद एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने शहजादनगर में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद



कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और सुनवाई के बाद शनिवार को आजम खां को नफरती भाषण मामले में दोषी करार दिया है। आजम खां इस समय न्यायिक अभिरक्षक में हैं और कोर्ट ने सजा के प्रश्न पर दोनों पक्षों को सुना है और अब कोर्ट ने आजम खां को दो साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि अग्री अदालत में याचिका को लेकर जमानत मिल गई है। कोर्ट से बाहर आने के बाद आजम बोले वयों परेशान हो, सजा हो गई। क्या परेशानी है।

## वाहन दुर्घटना में तीन की मौत, 10 घायल

जयन्त प्रतिनिधि।

चमोली : कर्णप्रयाग-ग्वालदम मोटर मार्ग पर शनिवार को एक मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर 300 मीटर नीचे गिर गया। दुर्घटना में दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 व्यक्ति घायल हो गए। जिनमें से चार गंभीर घायल एवं छः सामान्य घायल हैं। घायलों का पीएचसी ग्वालदम में उपचार किया जा रहा है।



घनियाल धार के समीप एक मैक्स वाहन संख्या यूके-11टी0ए0-2388 अनियंत्रित होकर लगभग तीन सौ मीटर नीचे गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन कर्णप्रयाग से ग्वालदम की ओर जा रहा था। वाहन में चालक सहित 12 व्यक्ति सवार थे। जिनमें से दो व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हुई है और 10 व्यक्ति घायल हुए हैं। जिला प्रशासन द्वारा गंभीर रूप से घायल चार व्यक्तियों को सीएचसी बैजनाथ तथा अन्य

दुर्घटना में सामान्य घायल व्यक्ति

1. शोहत शाह पुत्र गंभीर शाह (वाहन चालक) उम्र 28 वर्ष पता बैनोली, थरली,
2. प्रवीण पुत्र अशोक कुमार, उम्र, 27 वर्ष, पता मयूर विहार फेस-1 दिल्ली,
3. अनीता पुत्री प्रताप राम, उम्र 19 वर्ष, पता दाबू-बागेश्वर,
4. हेरन्द सिंह पुत्र नारायण सिंह, उम्र 47 वर्ष, थाला- तलावडी,
5. गौरव पाण्डे पुत्र मोहन चन्द्र पाण्डे, उम्र 21 साल, जौला-ग्वालदम,
6. मंजू पुत्री मोहन सिंह, उम्र 37 वर्ष, पता बुडजोला-ग्वालदम

घायलों को पीएचसी ग्वालदम लाया गया। जहां चिकित्सकों द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है। जबकि मृतक व्यक्तियों के शव सीएचसी थरली लाए गए हैं।

दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों के नाम

1. राजेन्द्र चौधरी पुत्र सुखडी चौधरी, उम्र 55 वर्ष जिला बैथिया, बिहार हॉल निवास ग्वालदम।
2. सरस्वती देवी पत्नी कृष्णानंद, उम्र 43 वर्ष, रैतोली सिरकोट-बागेश्वर शामिल है।

दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति

1. फुनी देवी पत्नी प्रताप राम उम्र 45 वर्ष,
2. दाबू-बागेश्वर, अमित नेगी पुत्र कलम सिंह नेगी, उम्र 34 वर्ष, निवासी उतरी-कर्णप्रयाग,
3. सन्यासी बाबा नाम पता अजात,
4. कमल किशोर, एसएसबी जवान ग्वालदम।



# IHMS KOTDWAR

17 Year of Excellence in Education  
ESTD. 2006  
ISO 9001-2015 Certified

Institute of Hospitality, Management & Sciences

Admissions Open 2023

"Journey Towards Excellence"

## AVAILABLE PROGRAMMES

# M.B.A. 2 Years

FIRST AICTE APPROVED COLLEGE IN REGION

**B.H.M.**  
4 Years

**B.Sc. IT**  
3 Years

**B.B.A.**  
3 Years

**B.C.A.**  
3 Years

**C.H.M.**  
1 Year

- Attractive Scholarships
- Industrial Tour

- Value Added Courses @ 0% cost
- Internship in Leading Companies

Mob.: 7902000023, 8057726863

Balbadrapur, B.E.L. Road, Kotdwar-246149(UK)

Email: info@ihms.ac.in, ihmskotdwar1@gmail.com | Web: www.ihms.ac.in













